मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा
(पीठसीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :– श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

सुशील कुमार पुत्र दयानन्द जाति जाट नि० डोभी
भवजीत सिंह जाति जाट नि० डोभी

बनाम

1. दयानन्द पुत्र राजाराम जाति जाट नि० डोभी त० भादरा।
2. पुष्पा देवी पुत्री दयानन्द जाति जाट निवासी डोभी त० भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये TDR।

वाद बाबत :– 88 R Tilt
मुकदमा नम्बर – 07/2023
निर्णय दिनांक – 05/6/23

वादी की ओर से वकील श्री भानुप्रताप की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री भगवतीप्रसाद बेनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05/6/23 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि शेहि मौजा डोभी वाराणी के खाता न० 40/108 के मु० न० 174 के किता न० 5, 6, 15, 16 मु०न० 179 के किता न० 19, 20, 21, 22 मु०न० 229 के किता न० 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 मु०न० 252 के किता न० 4, 5 की कुल 4.984 है० में प्रतिवादी न० 01 दयानन्द प्रतिवादी न० 01 की बजाय वादी न० 01 सुशील कुमार वादी न० 02 भवजीत सिंह प्रतिवादी न० 01 दयानन्द को बदिसा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कोई भूमि बैक रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करें। खर्चा वाद उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05-06-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शिविर प्रभारी
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखंड अधिकारी